भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3566

दिनांक 10.12.2019/19 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर पुलिस स्टेशन

† 3566. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि अनुसार देश में साइबर पुलिस स्टेशनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा साइबर अपराधों विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार की अगले वित्तीय वर्ष में देश में साइबर पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। साइबर पुलिस स्टेशन एवं साइबर अपराध सेल स्थापित करने सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। साइबर पुलिस स्टेशनों की संख्या से संबंधित विशिष्ट आंकड़े केंद्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार पुलिस स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय वित्तीय धोखाधड़ियों सहित साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्यों को उनके संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) साइबर अपराधों से समन्वित तथा कारगर ढंग से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)' स्थापित किया गया है।

(ii) महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष जोर देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की ऑनलाइन सूचना देने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, www.cybercrime.gov.in शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई शिकायतों का निराकरण राज्यों के संबंधित विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(iii) इस समस्या का समाधान करने के लिए, फोन द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसीपीएफ) गठित की गई है, जिसमें सभी स्टेकहोल्डर संगठनों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्तीय सेवाएं विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए एफसीओआरडी-एफआईसीएन समन्वय एजेंसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और प्रत्येक राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महा निरीक्षक राज्य नोडल अधिकारी हैं। इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को "फोन द्वारा धोखाधड़ियों की रोकथाम संबंधी कदम" के बारे में दिनांक 12 फरवरी, 2018 को एडवाइजरी जारी की है।

(iv) विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य8 स्टेीकहोल्डकरों को एक प्लेनटफार्म प्रदान करने के लिए साइबर समन्वकय केंद्र(साई-कोर्ड) पोर्टल शुरू किया गया है, ताकि साइबर अपराध का निराकरण करने और साइबर संबंधी अन्यं मुद्दों जैसे कि केस स्ट डी/अनुसंधान निष्कैर्षों को साझा करने, अनुभव साझा करने, अनुसंधान समस्याोओं का प्रतिपादन करने, जटिल साइबर मुद्दों का समाधान ढूँढ़ने आदि की दिशा में वे अपने प्रयासों के बीच पारस्प्रिक सहयोग और समन्वसय स्थादपित कर सकें।

(v) साइबर अपराधों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चेतावनियां/एडवाइजरी जारी करना। राज्यों को जारी की गई विभिन्न एडवाइजरी www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(vi) जांच और अभियोजन से संबंधित कार्य भलीभांति करने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण स्कीम के अंतर्गत 8500 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

******